



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-02

### विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

| विषय                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य . ...                                                                                                                                                                             | —            | रु0 3075      |
| भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...                                                                                                        | 11—17        | 1500          |
| भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...                                            | 13—15        | 1500          |
| भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...    | —            | 975           |
| भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | —            | 975           |
| भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...                                                                                                                                                              | —            | 975           |
| भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...                                                                                                                                                                  | —            | 975           |
| भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ...                                                                          | —            | 975           |
| भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...                                                                                                                  | —            | 975           |
| भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...                                                                                                                                                          | 09—14        | 975           |
| स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...                                                                                                                                              | —            | 1425          |

## भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—5

## अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या—350534 / XXVIII(5)/2025(e-84103)—एतद्वारा उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रभावी) एवं कार्मिक अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—166/कार्मिक—2/2002, दिनांक 28 फरवरी, 2002 में निहित नियमों/शर्तों के अधीन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग संघ", को मान्यता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ० आर राजेश कुमार,  
सचिव।

## गृह (अधिष्ठान) अनुभाग—03

## अधिसूचना

## नियुक्ति

19 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या—353227 / XX-3/2025-08(07)2021 / ई—21245—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) परीक्षा—2024 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान—56100—177500, लेवल—10) के पद पर अग्रेतर प्रस्तरो में उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई/औपबन्धिक आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

| अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम        | पिता का नाम              | पत्र व्यवहार का पता                                                                             |
|------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900216     | श्री शैलेन्द्र गुनसोला | श्री उम्मेद सिंह गुनसोला | टाईप-2, क्वार्टर न0-19, बी0एस0एन0एल0 कालोनी, कमलेश्वर, श्रीनगर, जनपद—पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)। |

2— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई/औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण—पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3— उक्त अभ्यर्थी को पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। परीवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 4- एतद्द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें 'उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2023', 'यथासंशोधित नियमावली, 2024' तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले अन्य संगत नियमों/आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी।
- 5- अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित सूचना/प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र के साथ पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगा:-
- 1) केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
  - 2) समस्त धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
  - 3) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र।
  - 4) 'इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923' के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
  - 5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र।
  - 6) शैक्षिक योग्यता, आयु, आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी प्रमाणित छाया प्रतियां।
  - 7) इस आशय का घोषणा पत्र कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
- 6- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के 01 माह के भीतर उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। समुचित कारणों के बिना निर्धारित अवधि के भीतर योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 7- इस नियुक्ति के क्रम में उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय में योगदान प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- 8- पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व 'राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड' से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 9- नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा यथानिर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।
- 10- अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,  
शैलेश बगौली,  
सचिव।

## राजस्व अनुभाग-3

## अधिसूचना

23 दिसम्बर, 2025 ई०

संख्या-949/XVIII(3)/2025-03(20)/2021-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि शासन की अधिसूचना सं०-1026/XVIII(3)/2022-03(20)/2021 दिनांक 25 नवम्बर, 2022 द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेगी।

## अनुसूची

| जिला     | तहसील  | परगना   | ग्राम का नाम |
|----------|--------|---------|--------------|
| 1        | 2      | 3       | 4            |
| देहरादून | ऋषिकेश | परवादून | मालीदेवल     |

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 949/XVIII(3)/2025-03(20)/2021, Dated- December 23, 2025 for general information.

## NOTIFICATION

December 23, 2025

**No. 949/XVIII(3)/2025-03(20)/2021--**In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the Village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 1026/XVIII(3)/2022 -03(20)/2012, dated 25 November, 2022 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

| District | Tehsil    | Pargana   | Name of Village |
|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 1        | 2         | 3         | 4               |
| Dehradun | Rishikesh | Parvadoon | Malideval       |

By Order,

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,

Secretary, Revenue.

## ग्राम्य विकास अनुभाग-3

## विज्ञप्ति/पदोन्नति

31 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या-133/XI(3)/2025/06(12)/2025 E-91902-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1037/XI/15/53(07)11 दिनांक 26.05.2015 एवं प्रकोष्ठ के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति से सम्बन्धित कार्यकारी आदेश संख्या-214739/XI-3/2004/06(09)2022 दिनांक 19.06.2024 में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ में कार्यरत निम्नलिखित सहायक संख्याधिकारियों को अर्थ एवं संख्याधिकारी/परियोजना अर्थशास्त्री के पद पर वेतनमान-56100-177500 लेवल-10 (ग्रेड पे-5400) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र0सं0 | अर्थ एवं संख्याधिकारी का नाम | वर्तमान तैनाती जनपद |
|---------|------------------------------|---------------------|
| 1.      | श्री महेन्द्र सिंह जीना      | चम्पावत             |
| 2.      | श्री सुधीर सिंह              | रूद्रप्रयाग         |
| 3.      | श्री नरेन्द्र सिंह पालनी     | बागेश्वर            |
| 4.      | श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव    | उधमसिंहनगर          |
| 5.      | श्री नवीन नौटियाल            | हरिद्वार            |
| 6.      | श्री संजीव कुमार             | देहरादून            |

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों को 02 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3. उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती जनपद/स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करते हुए तदविषयक सूचना/कार्यभार प्रमाण-पत्र, अपने नियंत्रक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा विभागाध्यक्ष आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. उक्त पदोन्नत अर्थ एवं संख्याधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

## विज्ञप्ति/पदोन्नति

31 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या-142/XI(3)/2025/06(12)/2025 E-91902-शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1037/XI/15/53(07)11 दिनांक 26.05.2015 एवं प्रकोष्ठ के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति से सम्बन्धित कार्यकारी आदेश संख्या-116750/XI(3)/2023/53(18)2005 दिनांक 26.04.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता एवं अन्वेषक तकनीकी की सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान-56100-177500 लेवल-10 (ग्रेड पे-5400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रमांक | कार्मिक का नाम         | वर्तमान तैनाती जनपद |
|---------|------------------------|---------------------|
| 1.      | श्री शशि कान्त पाण्डेय | देहरादून            |
| 2.      | श्री देव सिंह बोहरा    | नैनीताल             |
| 3.      | श्री सुशील कुमार कोहली | उधमसिंहनगर          |
| 4.      | श्री नन्द किशोर ओली    | चम्पावत             |
| 5.      | श्री अनिल कुमार जैन    | हरिद्वार            |
| 6.      | श्री तुंगल सिंह पाल    | हरिद्वार            |

- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।
- उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती जनपद/स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करते हुए तद्विषयक सूचना/कार्यभार प्रमाण-पत्र, अपने नियंत्रक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा विभागाध्यक्ष, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- उक्त पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

धीराज सिंह गब्याल,  
सचिव।

## सू0प्रौ0, सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0-03

### अधिसूचना

#### विविध

31 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या-I/356417 E-22662/XXXIV(3)/2025-20(02)14-उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 की धारा 15(1) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: I/345407/2025/E-22662/XXXIV(3)/2025-20(02)14 दिनांक 17.11.2025 द्वारा श्री अनिल कुमार रतूड़ी को उनके द्वारा अधिवर्षता आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29.11.2025 को आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रभार मुख्य आयुक्त) से सेवानिवृत्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 14(02) तथा धारा 14(03) में उपबन्धित व्यवस्थानुसार मुख्य आयुक्त की रिक्ति की दशा में श्री भूपाल सिंह मनराल, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को रिक्ति की अवधि में मुख्य आयुक्त में निहित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नामित किये जाने की इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि मुख्य आयुक्त के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने पर आयुक्त के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त श्री मनराल को अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, भत्ते अथवा अतिरिक्त सुविधाएं देय नहीं होंगी।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,  
सचिव।

## कार्यालय अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन

## वित्त अनुभाग-8

कार्यभार प्रमाण पत्र

24 दिसम्बर, 2025 ई0

संख्या-01/XXVII(8)/अ0स0वि0/2025-उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 के कार्यालय आदेश सं0 881 दिनांक 23-12-2025 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत अपर सचिव, वित्त (वेतनमान रू0 144200.00-218200.00 लेवल 15) के पद पर पदोन्नत किए जाने के अनुपालन में आज दिनांक 24-12-2025 के पूर्वाह्न में अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पद का निम्नप्रकार कार्यभार ग्रहण किया गया :-

अवमोचक अधिकारी

अनिल सिंह,

अपर सचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित

आर.के. सुधांशु,

प्रमुख सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक सम्वत्)

### भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

### NOTIFICATION

December 09, 2025

**No.360/UHC/Admin.A-2/2025**

Civil Judge (Sr. Div.), Uttarkashi is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi till further orders.

**No.361/UHC/Admin.A-2/2025**

Shri Paritosh, 2<sup>nd</sup> Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur, District Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

**Above orders will come into force with immediate effect.**

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

December 12, 2025

**No. 363/XIV-a/34/Admin.A/2013**--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned:

|    |                  |                                     |
|----|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Child care leave | 27.06.2025 to 21.07.2025 (25 days). |
| 2. | Medical Leave    | 03.10.2025 to 14.10.2025 (12 days)  |

NOTIFICATION

December 12, 2025

**No. 364/XIV/a-30/Admin.A/2021**--Ms. Anju, Judicial Magistrate, Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned child care leave for 40 days w.e.f. 24.10.2025 to 02.12.2025 with permission to prefix 18.10.2025 to 23.10.2025 as local holiday and Deepawali holidays.

NOTIFICATION

December 12, 2025

**No. 365/XIV-a-44/Admin.A/2015**--Ms. Anamika Singh, 7<sup>th</sup> Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 29.07.2025 to 08.08.2025 with permission to prefix 27.07.2025 as Sunday & 28.07.2025 as Panchayat Election and suffix 09.08.2025 & 10.08.2025 as second Saturday and Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 12, 2025

**No. 366/XIV-71/Admin.A/2003**--Ms. Neena Aggarwal, Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 24.10.2025 to 07.11.2025 with permission to prefix 19.10.2025 to 23.10.2025 as Deepawali holidays and suffix 08.11.2025 & 09.11.2025 as second Saturday & Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

December 12, 2025

**No. 367/XIV/a-45/Admin.A/2017**--Shri Anil Kumar Kori, Civil Judge, (Jr. Div.), Joshimath, District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 03.10.2025 to 18.10.2025 with permission to prefix 30.09.2025 to 02.10.2025 as Dussehra holidays and suffix 19.10.2025 to 23.10.2025 as Deepawali holidays respectively.

NOTIFICATION

December 12, 2025

**No. 368/XIV-a-36/Admin.A/2020**--Shri Mohit Mahesh, Civil Judge, (Jr. Div.), Karanprayag, District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 23 days w.e.f. 26.09.2025 to 18.10.2025 with permission to suffix 19.10.2025 to 23.10.2025 as Deepawali holidays.

NOTIFICATION

December 19, 2025

**No. 369/XIV-35/Admin.A/2008--**Shri Ramesh Singh, Additional District Judge/FTSC (POCSO), Roorke District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 18.11.2025 to 25.11.2025.

NOTIFICATION

December 19, 2025

**No. 370/XIV-20/Admin.A/2008--**Ms. Meena Deopa, 2<sup>nd</sup> Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 02 days w.e.f. 23.12.2024 to 24.12.2024 with permission to prefix 22.12.2024 as Sunday and suffix 25.12.2024 to 31.12.2024 as Christmas holidays for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2025 ई0

संख्या-2890/नि0अनु0-भू0उप0परि0/बी-024/2025-आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला में दिनांक 10.09.2025 एवं दैनिक जागरण में दिनांक 11.09.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

| क्र0सं0 | मौजा                                             | खसरा नम्बर                             | भूखण्ड का क्षेत्रफल | वर्तमान भू-उपयोग | भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| 01.     | मौजा गल्जवाड़ी, परगना परवादून तहसील सदर देहरादून | 1178 मिन (पुराना खसरा सं0 636 व 636/2) | 5094.00 वर्गमीटर    | कृषि             | आवासीय                        |

बंशीधर तिवारी,

उपाध्यक्ष।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/02-भाग 1-क-2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 जनवरी, 2026 ई0 (पौष 20, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

## NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER  
Additional Director

## सूचना

मेरे पुत्र LAKSHAY SINGH के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25124530 में त्रुटिवश माता का नाम सुषमा देवी (SUSHMA DEVI) गलत दर्ज हो गया है जबकि माता का वास्तविक नाम सुषमा रानी (SUSHMA RANI) है। जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 2 एवं माता के आधार कार्ड नं0 203999749282 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को लक्ष्य सिंह (LAKSHAY SINGH) पुत्र सुषमा रानी (SUSHMA RANI) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SUSHMA RANI W/o BRIJESH KUMAR  
निवासी—अलिपुर इब्राहिमपुर, पोस्ट—बहादुराबाद,  
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं कमल सिंह नेगी पुत्र श्री शेर सिंह नेगी आर्मी नंबर 4056840L EX HONY NB SUB मेरे सैन्य अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम कमल सिंह व पिताजी का नाम सूर सिंह नेगी गलत दर्ज है जबकि मेरा सही नाम कमल सिंह नेगी व पिताजी का नाम शेर सिंह नेगी है जो कि मेरे आधार कार्ड 952699736310 व पैन कार्ड नंबर AZCPN2074L में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे कमल सिंह नेगी पुत्र श्री शेर सिंह नेगी के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कमल सिंह नेगी पुत्र श्री शेर सिंह नेगी  
निवासी—सिवाई, चमोली, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र AKASH के हाईस्कूल CBSE बोर्ड वर्ष—2025 अनुक्रमांक—25119994 में पुत्र का नाम AKASH व मेरा नाम DEEPENDER व पत्नी का नाम—SANGEETA दर्ज हो गया है, जबकि पुत्र सही नाम—आकाश बलुनी (AKASH BALUNI) व मेरा सही नाम—दिपेन्द्र प्रसाद बलुनी (DIPENDRA PRASAD BALUNI) व पत्नी का सही नाम—संगीता देवी बलुनी (SANGEETA DEVI BALUNI) है। जो सही है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दिपेन्द्र प्रसाद बलुनी पुत्र श्री दाताराम  
निवासी—सिंहनीवाला, (चकमनसा),  
शेरपुर, देहरादून।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 594513331833 में त्रुटिवश उसका नाम सोमिया त्रिपाठी (Saumiya Tripathi) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सौम्या त्रिपाठी (Saumya Tripathi) है। जोकि उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 25124586 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० 51403 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को सौम्या त्रिपाठी (Samuya Tripathi) पुत्री कपिन्द्र त्रिपाठी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कपिन्द्र त्रिपाठी  
निवासी—266/59 गली नं० 4, खन्ना नगर,  
हरिद्वार ज्वालापुर, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 717338659120 में त्रुटिवश मेरा नाम धर्मपाल (DHARAMPAL) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम पाल्ला (PALLA) है। जो मेरे पहचान पत्र सं0 UP/85/421/480412 व खसरा खतौनी में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे पाल्ला (PALLA) पुत्र श्री सुखन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पाल्ला (PALLA) पुत्र श्री सुखन  
निवासी मुठकाबाद पोस्ट लक्सर,  
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्रों व आधार कार्ड नं. 660375319950 में मेरा नाम शिवानी (Shiwani) D/o Sabuddin दर्ज है लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना नाम शिवानी (Shiwani) से बदलकर शबाना (Shabana) कर लिया है जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. B202505900330002317 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे शबाना (Shabana) D/o Sabuddin के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

(Shiwani) (मौजूदा पुराना नाम)  
D/o Sabuddin  
निवासी—ग्राम—नाथूपुर, पो.ओ. कोटद्वार,  
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

सूचना

I have changed my daughter's name from SOPHIYA to SAMIKA in future she should be known and recognized as Samika D/o Sandeep Arya resident of Vill-Ravigram, Post Joshimath, Tehsil Joshimath, District Chamoli, Uttarakhand-246443.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Sandeep Arya  
resident of Vill- Ravigram, Post Joshimath,  
Tehsil Joshimath, District Chamoli,  
Uttarakhand-246443

सूचना

मेरे आईडीबीआई बैंक खाता सं. 0206104000074999 में त्रुटिवश मेरा नाम शादाब दर्ज हो गया है जोकि गलत है जबकि मेरा सही नाम मौ. शादाब है। भविष्य में मुझे मौ. शादाब के नाम से ही जाना वह पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मौ. शादाब पुत्र नसीम अहमद  
निवासी—सालियर साल्हापुर,  
जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री अदीबा (ADIBA) के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25127755 में त्रुटिवश माता का नाम शबा (SABA) एवं पिता का नाम मौहम्मद अरशद (MOHDARSHAD) गलत दर्ज हो गया है जबकि माता का वास्तविक नाम शबा नाज (SHABA NAAZ) एवं पिता का वास्तविक नाम अरशद (ARSHAD) है। जोकि पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 692 में भी दर्ज है। भविष्य में हमे सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अरशद पुत्र हफिजूर रहमान  
निवासी—121. शेखपुरी, रुड़की,  
हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 823612363829 में त्रुटिवश उसका नाम दिव्यांशू शर्मा (Divyanshu Sharma) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दिव्यांश शर्मा (Divyansh Sharma) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. 20120100243 एवं स्थाई निवासी प्रमाण पत्र संख्या: UK25ES0100494601 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को दिव्यांश शर्मा (Divyansh Sharma) पुत्र अजय कुमार शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अजय कुमार शर्मा  
निवासी—98, रामनगर कालोनी,  
लाडपुर, रायपुर देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 827197324437 में त्रुटिवश उसका नाम शिवांशु शर्मा (Shivanshu Sharma) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शिवांश शर्मा (Shivansh Sharma) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. 114 एवं स्थाई निवासी प्रमाण पत्र संख्या: UK25ES0100494609 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को शिवांश शर्मा (Shivansh Sharma) पुत्र अजय कुमार शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अजय कुमार शर्मा  
निवासी-98, रामनगर कालोनी,  
लाडपुर, रायपुर देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं पुष्कर सिंह रौतेला सुपुत्र श्री अमर सिंह रौतेला मैंने सन्यास धारण करने के पश्चात अपना नाम पुष्कर सिंह रौतेला से बदलकर स्वामी पुण्यदेव शिष्य स्वामी रामदेव रख लिया है। भविष्य में मुझे स्वामी पुण्यदेव शिष्य स्वामी रामदेव के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

स्वामी पुण्यदेव शिष्य स्वामी रामदेव  
निवासी-वैदिक गुरुकुलम पतंजलि फेस 2,  
बहादुराबाद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे, आधारकार्ड नं. 691777627794 में त्रुटिवश मेरा नाम-सना (SANA) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम-सानिया शकील (SANIYA SHAKEEL) है। जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 19990100547 व हाईस्कूल अनुक्रमांक सं. 5249239 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे SANIYA SHAKEEL D/O SHAKEEK AHMED के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SANIYA SHAKEEL D/O SHAKEEK AHMED  
निवासी-1/59 टैगोर कॉलोनी, हाउस नियर, नटराज  
हॉल देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी RELIANCE LIFE INSURANCE POLICY NO. 50091997 में त्रुटिवश मेरा नाम ALPANA गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम ALPANA GUPTA है। जोकि मेरे आधार कार्ड नं. 389776219211 व पैन कार्ड नं. BOWPG3725R में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे ALPANA GUPTA W/O PRAMOD KUMAR GUPTA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ALPANA GUPTA  
W/O PRAMOD KUMAR GUPTA  
निवासी—आवास विकास रुड़की, जिला—  
रुड़की उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं बबली मेरे आधार कार्ड नं0 446847868576 में त्रुटिवश मेरे पति का नाम सोनू के स्थान पर संदीप गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पति का सही नाम सोनू है। जो उनके आधार कार्ड नं0 981241535949 व परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे बबली पत्नी श्री सोनू के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बबली पत्नी श्री सोनू  
निवासी—शान्तरशाह हरिद्वार  
दौलतपुर उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र अंतरिक्ष सैनी हाईस्कूल अनुक्रमांक नंबर 25128006 वर्ष 2025 दिल्ली पब्लिक स्कूल पुहाना रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड के स्कूल रिकॉर्ड में गलती से मेरे बेटे का नाम अंतरिक्ष दर्ज हो गया है जबकि मेरे बेटे का सही नाम Antriksh Saini है। भविष्य में अंतरिक्ष सैनी के ही नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुधीर कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह  
कृष्णा नगर गली नंबर 16 रुड़की  
जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।